

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/संपुष्टि-06-65/2013-----/ राँची, दिनांक:-----/

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या-6493 दिनांक 31.10.2013 के प्रथम कंडिका के कॉलम-06 में "24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण" के स्थान पर "24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण" तथा देय तिथि "11.08.2000" के स्थान पर "12.08.2000" पढ़ा जाय।

2. शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
3. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल-02, गढ़वा/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

136

राँची, दिनांक :-

8-1-14

प्रतिलिपि:- प्रशाखा-18/ बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)